आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.

न्यायालय उपायुक्त लोहरदगा।

म्यूटेशन रिभिजन वाद सं0 24/2007–08

राजा अहमद व अन्य बनाम साहिरनदीम व अन्य

आदेश

23/4/21

आवेदकगण 1. मो0 खलील पिता स्व0 मो0 कसीम वो 2. मो0 यासीन पिता स्व0 अब्दुल बारी वो 3. मोहन प्रसाद पिता गुप्तेश्वर प्रसाद वो 4. अफरोज आलम पिता मो0 आजम कुरैशी क्रमांक 1 साकिन थाना टोली लोहरदगा, क्रमांक 2 एवं 3 अमला टोली सोमवार बाजार लोहरदगा क्रमांक 4. कुरैशी मुहल्ला लोहरदगा सभी थाना वो जिला लोहरदगा के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2007 के विरुद्ध रिभिजन आवेदन दायर किया गया है।

रिभिजन आवेदन सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। मो0 खलील की मृत्यु होने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारीगण राजा अहमद, कौशर ईशरत बानो एवं मुशरत बानों को Substitute किया गया है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल Written Statement का अवलोकन किया गया। दाखिल किये गये सभी कागजातों का अवलोकन किया गया।

प्रथम पक्ष की ओर से दिये गये तार्किक तथ्य निम्नांकित हैः–

1. यह म्यूटेशन रिभिजन मूल रुप से मो0 खलील मो0 यासीन, मोहन प्रसाद एवं अफरोज आलम के द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध भूमि सुधार, उप समाहर्ता लोहरदगा के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 11/2004 में दिनांक 24.09.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।

2. वाद के चलने के दौरान अपीलकर्ता सं0 01 मो0 खलील की

23/4/2021

मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर इनके उत्तराधिकारीगण क्रमशः राजा अहमद, जीनत कौशर, ईशरत बानो एवं मुशरत बानो को अपीलकर्ता प्रतिस्थापित किया गया।

3. मौजा कुटमू आर0एस0 खाता नं0 170 प्लॉट नं0 1226 कुल रकबा 0.71 ए0 में से 0.35 ए0 जमीन आर0एस0 खतियान में मो0 कासीम वल्द अब्दुल अजीज के नाम से दर्ज है।

4. वर्त्तमान रिभिजन वाद के अपीलकर्ता सं0–01 मो0 खलील पिता मो0 कासीम के द्वारा निबंधित केवाला सं0 37 दिनांक 07.01.2004 के जरिये मो0 यासीन मोहन प्रसाद एवं अफरोज आलम को बिक्री किये तथा क्रेतागण अपनी खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्णदखल में आये।

5. इस वाद के अपीलकर्ता सं0 03 मोहन प्रसाद द्वारा दिनांक 07.06.2005 को निबंधित केवाला सं0 1250 रकबा 0.05 डि0 जमीन श्रीमती प्रतिमा प्रसाद पति श्री विश्वनाथन प्रसाद को बिक्री कर दिये। क्रय के पश्चात् प्रतिमा प्रसाद उक्त भूमि पर दखल में आयी एवं अंचल अधिकारी लोहरदगा के कार्यालय के दाखिल–खारिज वाद सं0 65R27/07-08 के द्वारा दाखिल–खारिज करा सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

6. प्रस्तुत वाद को अपीलकर्ता सं0 03 मोहन प्रसाद के द्वारा नीरज कुमार एवं पंकज कुमार को निबंधित केवाला सं0 1219 दिनांक 17.06.2005 के जरिये 32 कड़ी जमीन बिक्री किये एवं क्रेतागण उक्त भूमि पर दखलकार हुए। ये भी अंचल कार्यालय लोहरदगा से म्यूटेशन कराकर शांतिपूर्वक मकान बनाकर रह रहे हैं एवं सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

7. अपीलकर्ता सं0 04 अफरोज आलम ने भी अपने क्रय की गई भूमि 5 1/2 डि0 जमीन को निबंधित केवाला सं0 1218 दिनांक 26.09.2006 के जरिये श्रीमती सुशीला देवी को बिक्री कर दिये। सुशीला देवी अपने क्रय भाग पर दखलकार रहते हुए दाखिल–खारिज वाद सं0 713R27/06-07 दिनांक 27.12.2006 के द्वारा नामान्तरण करा कर सरकार को लगान देने लगी। तत्पश्चात् सुशीला देवी ने भी निबंधित केवाला सं0 1605 दिनांक 27.07.2012 के जरिये क्रेता आनन्द कुमार सोनी को जमीन बिक्री कर दी। अब आनन्द कुमार सोनी क्रय की गई भूमि का नामान्तरण कराकर सरकार को लगान अदा कर रहे है।

8. यह कि आर0एस0 खतियान में मो0 कासीम का नाम दर्ज है। सम्पूर्ण खतियानी जमीन के हकदार एवं दखलकार तथा जमीन के मालिक मो0 कासीम हुए। निम्न न्यायालय ने सहीरनदीम वगै0

के द्वारा समर्पित वंशावली को मानते हुए इस बात को स्वीकार किये कि अब्दूल अजीज जो मोहम्मद कासीम के पिता थे एक बड़े जमींदार थे। तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उनकी सारी सम्पति सरकार द्वारा जब्त कर कर ली गई। जबकि सही तथ्य यह है कि साबिक आर0एस0 सर्वे ऑपरेशन के पूर्व वर्ष 1930 ई0 में अब्दूल अजीज की मृत्यु हो गई थी। तब आर0 एस0 खतियान में मो0 कासिम के नाम से दर्ज हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण खतियान जमीन्दार के हकदार एवं दखलकार एवं वास्तविक स्वामी मो0 कासीम हुए।

9. उप समाहर्ता भूमि सुधार ने अपने आदेश दिनांक 24.09.2007 में लैण्ड सिलिंग वाद एवं लैण्ड सिलिंग अपील वाद का हवाला दिया गया है, इसमें भी विरोधाभास है। साहिर नदीम (वर्त्तमान उत्तरवादी) की ओर से बतलाया गया है कि लैण्ड सिलिंग अपील वाद में 60 एकड़ भूमि विभिन्न मौजा का नेजाम अहमद के पक्ष में तथा 30 एकड़ भूमि मो0 खलील के पक्ष में माना गया।

जबकि लैण्ड सिलिंग के मोताबिक एक यूनिट में 45 ए0 भूमि छोड़ा जा सकता है। अतः सहिर नदीम के द्वारा निम्न न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से गुमराह किया गया है। जो तथ्य रखा गया उससे संबंधित कोई सबूती कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. निम्न न्यायालय के आदेश में आगे कहा गया है कि दिनांक 11.01.1969 को रजिस्ट्री दस्तावेज के जरिये मो0 खलील मो0 कासिम के जायदाद पर दावा नहीं रखने की बात कही गई है ऐसा होने से यह इस्टोपल का मामला बनता है तथा मो0 खलील को भूमि बिक्री का अधिकार नहीं होता है

11. मौलवी नेजाम अहमद एवं मो0 कासिम के बीच दिनांक 11.01.1969 को जो एकरारनामा हुआ इस तथ्य को निम्न न्यायालय के आदेश में वर्त्तमान विपक्षी द्वारा यह बतलाया गया कि दिनांक 11.01.1969 को रजिस्ट्री दस्तावेज के जरिये मो खलील मो0 कासिम के जायदाद पर दावा नहीं करेंगे के तथ्यों पर छोड़ चुके हैं, ऐसा बतलाया गया है, जो सरासर गलत है।

वास्तविकता यह है कि एकरारनामा पेपर दाखिल है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि

नाम मोकिर– मौलवी नेजाम अहमद वल्द मौलवी अब्दूल अजीज मोख्तार मरहुम जात मुसलमान पेशा बकास्त सा0 राँची थाना जिला राँची

नाम मोकिर अलैह–मौलवी मोहम्मद कासिम वल्द अब्दूल अजीज

मोख्तार मरहुम जात मुसलमान पेशा गुहस्थी सा0 थाना लोहरदगा जिला राँची।

किसीम वसीका–एकरारनामा

चू मन मोकीर वो मोकीर अलैह का जायेदाद चन्द जगह में है वो मोकिर अलेह मजकुर के है जो मोकिर अलेह मजकुर के चला आता है उस जायेदाद से मनमोकीर वो वारीसान मन मोकिर का कोई वास्ता या सरोकार नहीं है न होगा। इस वास्ते हम अपने खुशी से एकरारनामा लिख दिया के वक्त पर काम आवे। तारीख 11 जनवरी 1969

इसी प्रकार पोषपुत्र के मामलें में उत्तरवादीगण कभी भी इस मामलें में कि मो0 खलील किस प्रकार मो0 कासिम के पोषपुत्र हैं सक्षम न्यायालय में Challenge नहीं किया जा सका।

12. विदित है कि वर्त्तमान वाद के मूल अपीलकर्ता सं0 01 मो0 खलील के नाम से राशन कार्ड, पहचान पत्र वोटर लिस्ट, बन्दूक लाइसेंस, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र बैंक एकाउण्ट, इत्यादि सभी कागजातों में पिता का नाम मो0 कासिम दर्ज है, जिसे निम्न न्यायालय में दाखिल भी किया गया था।

13. गौरतलब यह भी है कि निबंधित पट्टा सं0 2948 दिनांक 01.09.1969 को मो0 कासिम द्वारा अपना कुछ जमीन मो0 खलील को बिक्री किया गया; जिसमें क्रेता का नाम मो0 खलील पिता मो0 कासिम दर्ज है। अर्थात मो0 कासिम अपनी मर्जी से मो0 खलील को पोषपुत्र बचपन से ही रखे थे, जिसपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।

14. वर्त्तमान वाद के उत्तरवादीगण द्वारा निम्न न्यायालय में अपनी ओर से दाखिल किये गये वंशावली सही प्रस्तुत नहीं किये गये बल्कि आधा अधुरा वंशावली देकर न्यायालय के समक्ष सही तथ्य को छुपाया गया।

15. खतियानी रैयत मो0 कासिम की वंशावली निम्नांकित है:–

मो0 कासीम (खतियानी रैयत)

↓

बीबी रईशा (पत्नी)

↓

मो0 खलील

↓

राजा अहमद (पुत्र)	जीनत कौशर (पुत्री)	ईशरत कौशर (पुत्री)	मुशरत बानो (पुत्री)

वर्त्तमान वाद के उत्तरवादीगण की वंशावली निम्नांकित हैः–

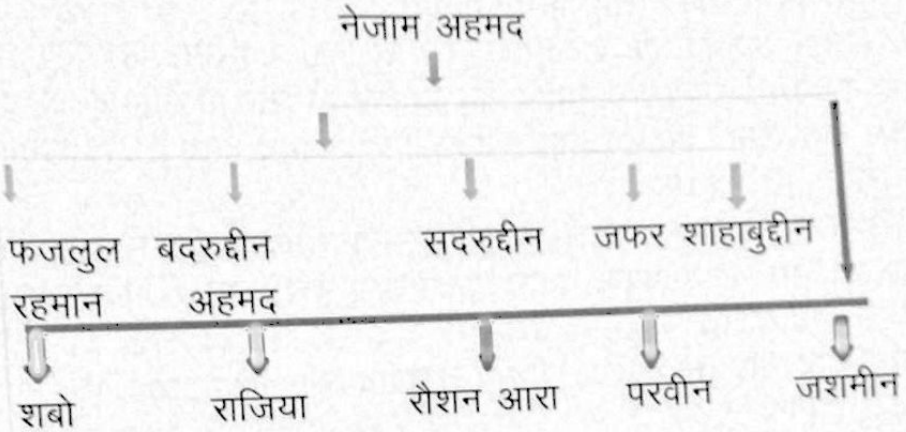

16. उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट है कि नेजाम अहमद के अनेको वारिस हैं एवं अनेकों औलाद में से मात्र दो पुत्र का दावा नहीं बनता है। अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त किया जाय एवं म्यूटेशन रिभिजन आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी की ओर से दिये गये तार्किक तथ्य निम्नंकित हैः–

1. यह म्यूटेशन रिभिजन वाद नियमानुकूल चलने योग्य नहीं है। चूँकि उप समाहर्ता, भूमि सुधार लोहरदगा के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 11/03 में दिनांक 24.09.2007 को पारित आदेश न्यायसंगत एवं नियमानुसार है।

2. विपक्षीगण खाता नं0 170 के खतियानी रैयत मो0 कासिम पिता अब्दूल अजीज से संबंध रखते है, जिसे हम कुर्सीनामा से देख सकते हैं, जो निम्नांकित हैः–

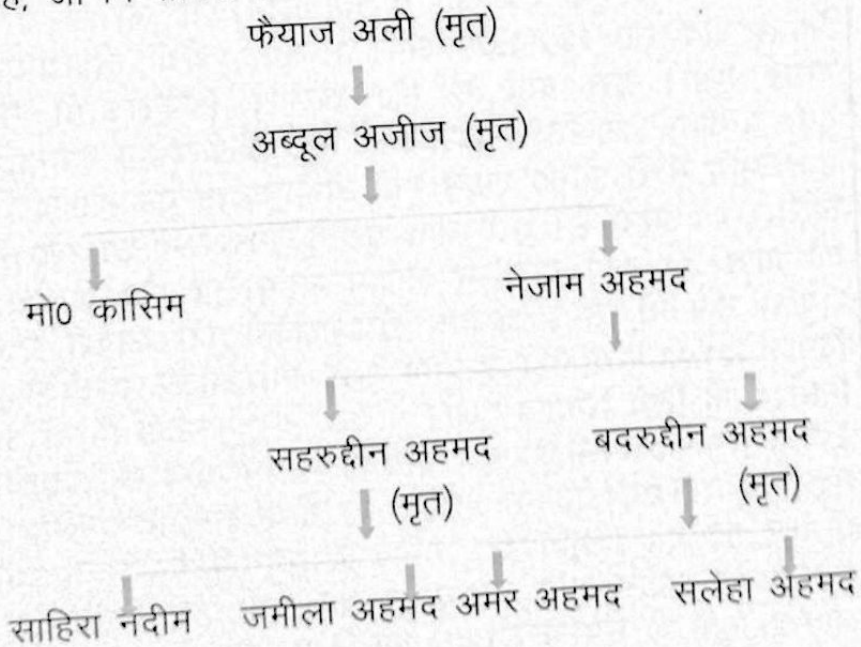

यह कि खतियानी रैयत मो0 कासिम नावल्द मृत हुए इसी कारण से कानूनन स्वतः अब मो0 कासिम की सम्पति एवं जमीन जायदाद नेजाम अहमद को चली जायगी।

4. नेजाम अहमद ही वास्तविक रुप से मो0 कासिम की मृत्यु के पश्चात् उनके जमीन जायदाद के हकदार हुए नेजाम अहमद के दो पुत्र सदरुद्दीन अहमद एवं बदरुद्दीन अहमद हुए जो उनके उतराधिकारी हुए।

5. अपीलकर्ता मो0 खलील के द्वारा समय समय पर अपने आपको मो0 कासिम का पोषपुत्र बताने का प्रयास करते रहे हैं, जिसे हम राजस्व न्यायालय के लैण्ड सिलिंग वाद सं0 1/44/72–73 एवं स्वत्व वाद सं0 15/2003 तथा स्वत्ववाद सं0 02/2006 में देख सकते हैं।

यहाँ यह स्पष्ट बतलाने की आवश्यकता है कि गोदनामा के संबंध में मुस्लिम लॉ क्या कहता है क्योंकि जिस प्रकार हिन्दू लॉ में गोदनामा का प्रावधान है मुस्लिम लॉ में नहीं है।

6. यह कि अपीलकर्ता मो0 खलील वास्तविक रुप में मो0 इदरीश खलीफा का पुत्र है, जो थाना टोली का रहनेवाला है। मो0 खलील बीबी राईसा पति मो0 कासिम के साथ जीविका निर्वाह कर रहा था। मो0 खलील पर तरस खा कर मो0 कासिम एवं बीबी राईसा निबंधित केवाला के जरिये कुछ जमीन जीविकापोर्जन के लिये दिये।

7. मो0 कासिम के पिता अब्दूल अजीज एवं नेजाम अहमद पूर्व जमींदार रहे थे। जमींदारी उन्मूलन के समय 105 एकड़ भूमि जो विभिन्न मौजा में अवस्थित थे सरकार द्वारा अर्जित किया गया। जो न्यायालय उप समाहर्ता, भूमि सुधार लोहरदगा के लैण्ड सिलिंग अपील वाद सं0 1/44–72–73 चला था। उक्त वाद में नेजाम अहमद हाजिर हुए एवं आपत्ति दाखिल किये जो लैण्ड सिलिंग अपील वाद सं0 28/1977 अपर समाहर्ता, राँची के न्यायालय में दायर हुआ। इस वाद में मो0 खलील (अपीलकर्ता) उपस्थित हुए एवं अपनी आपति दाखिल किये मो0 खलील का कहना था कि उक्त भूमि में से 30.00 एकड़ भूमि बीबी राईशा एवं मो0 कासिम से खलील को प्राप्त है। इसी बात पर नेजाम अहम एवं मो0 खलील को प्राप्त है। इसी बात पर नेजाम अहम एवं मो0 खलील दोनों संयुक्त रुप से समझौता पत्र तैयार किये जो आदेश पत्रक में दिनांक 21.03.1978 को इन्द्राज हुआ एवं लोअर कोर्ट में यूनिट निर्धारण के लिये रिमाण्ड हुआ।

8. यह कि मो0 खलील एवं नेजाम अहमद के बीच समझौता पत्र में मो0 खलील एवं नेजाम अहमद के बीच समझौता पत्र में मो0 खलील 30 एकड़ भूमि एक यूनिट का चुनाव किया तथा नेजाम अहमद 60 एकड़ भूमि दो यूनिट को चुना एवं 15 एकड़ भूमि अधिशेष भूमि के रुप में सरकार को दिया गया। एवं इन्हीं बातों के आधार पर मामलें का निपटारा भी हो गया।

9. इस प्रकार लैण्ड सिलिंग केस में तत्कालीन अपर समाहर्ता का

विस्तार में आदेश है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि यदि मो0 खलील मो0 कासिम और बीबी रईशा की सम्पति पर हकदार होने का दावा करते हैं। तो पोषपुत्र होने का आदेश सक्षम न्यायालय से करा लें तथा दिनांक 11.01.1969 को रजिस्ट्री दस्तावेज के जरिये मो0 खलील मो0 कासिम के जायदाद पर दावा नहीं करेंगे के तथ्यों पर दावा छोड़ चुके हैं। जिस पर इस्टोपेल का भी मामला बनता है।

10. यह कि दिनांक 22.08.1978 को मो0 खलील के द्वारा अपनी 30 एकड़ भूमि के यूनिट के बाबत गजट प्रकाशन हेतु आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया गया, जिस पर 1984 में अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा के द्वारा राँची जिला गजट में अंतिम प्रकाशन हुआ।

11. बदरुद्दीन अहमद अपने जीवनकाल में 1979 में अपनी भूमि की मापी कराने हेतु अंचल अधिकारी, लोहरदगा को आवेदन पत्र दाखिल किये, जो मापी अभिलेख सं0 04/79–80 दर्ज हुआ। इस संदर्भ में दाखिल विभिन्न ग्रामों की नापी कराई गई एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया। उक्त प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि में सम्मिलात है। जिसमें विपक्षी का दखल–कब्जा दिखाया गया है।

12. दूसरी ओर जब उक्त विवादित भूमि पर रेलवे विभाग द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था। तब मुआवजा भुगतान संबंधी विवरणी तैयार की गई। जिसमें विपक्षीगण का नाम दर्ज हुआ। इन बातों से प्रभावित होकर मो0 खलील ने रकबा 0.35 डि0 जमीन अपीलकर्ता सं0 1 मो0 यासीन, मोहन प्रसाद एवं फिरोज आलम को निबंधित केवाला के जरिये बिक्री कर दिये। जमीन के क्रेतागण मुआवजा का लाभ लेने के लिये भू–अर्जन कार्यालय का चक्कर लगाने लगे।

13. क्रेतागण अपने–अपने नाम से खरीदगी भूमि का दाखिल–खारिज करा लिये इसकी जानकारी विपक्षीगण को नहीं हुई।

14. यह कि उपर्युक्त क्रेतागण अपीलकर्ता जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयत्न करने लगे एवं शांति भंग होने की संभावना होने की स्थिति में धारा 144 लागू हुआ जो अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा के वाद सं0 103/2085 चला जो drop हुआ।

15. यह कि मो0 खलील खतियानी रैयतों के कुछ भी रिश्ते में नहीं आते हैं। इस प्रकार भी मो0 खलील विपक्षीगण के संपति पर दावेदार नहीं हो सकते ।

16. सदरुद्दीन अहमद एवं बदरुद्दीन अहमद के समय में मो0 खलील खतियानी जमीन पर कभी भी दावा पेश नहीं किये। सदरुद्दीन एवं बदरुद्दीन अहमद की मृत्यु के पश्चात् मो0 खलील जमीन को बिक्री करने लगे।

17. प्रथम पक्ष के द्वारा बिक्री की गई भूमि से संबंधित विपक्षियों के द्वारा Challenge किया गया है। जो टाईटल सूट वाद सं0 02/2006 सब–जज, लोहरदगा में विचाराधीन है।

18. विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा के द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0 703/2003 में पारित आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है तथा वर्तमान म्यूटेशन रिभिजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

निष्कर्षः–

1. लैण्ड सिलिंग वाद सं0 1/44 –73–74 में मो0 नेजाम अहमद उपस्थित होकर अपना आपत्ति किये और अपने यूनिट की माँग किये जिसे तात्कालीन उप समाहर्ता भूमि सुधार लोहरदगा द्वारा खारिज कर दिये। न्यायालय अपर समाहर्ता राँची में लैण्ड सिलिंग अपील वाद सं0 28/77 दायर किया गया। उक्त वाद की सुनवाई के क्रम में मो0 खलील पिता मो0 कासिम दावा किये कि इन्हें भी कुछ यूनिट मिलना है मो0 नेजाम को 60 एकड़ एवं मो0 खलील को 30 एकड़ जमीन की प्राप्ति हुई। अंततः मो नेजाम अहमद एवं मो0 खलील लैण्ड सिलिंग अपील मामलें में एक संयुक्त सुलहनामा दाखिल किये, जिसमें अपना–अपना जमीन निर्धारित यूनिट के अनुसार रखकर सरकार को अर्जित करने हेतु छोड़ दिये।
अंचल अधिकारी, लोहरदगा के दाखिल–खारिज वाद सं0 703/03–04 में दाखिल–खारिज की सारी प्रक्रिया एवं जाँच को पूरा करते हुए दखल–कब्जा के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता पंजी II रैयत के पोषपुत्र हैं। आम ईश्तेहार तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।
2. अभिलेख में संलग्न निबंधित एकरारनामा की सच्ची प्रतिलिपि जिसका डीड नं0 03 बुक नं0 IV लोहरदगा 1969 ई0 वोल्यूम I पेज 617 है। नाम मोकीर–मौलवी नेजाम अहमद वल्द मौलवी अब्दूल अजीज मोख्तार मरहूम जात मुसलमान पेशा वकालत साकिन राँची थाना वो जिला राँची। नाम मोकिर अलैह–मोलवी मोहम्मद कासिम वल्द अब्दूल अजीज मोख्तार मरहूम जात मुस्लमान पेशा गृहस्थी साकिन लोहरदगा थाना लोहरदगा जिला राँची। तिथि 11.01.1969 आगे यह उल्लेख है कि चूँ मन मोकीर वो मोकीर अलैह का जायदाद चन्द जगहों में है वो मोकिर अलैह मजकुर जायदाद जो नाम से मोकीर अलैह मजकुर के हैं को वो दखल में मोकीर अलैह मजकुर को चला आता है। उस जायदाद से मनमोकीर वो वारीसान मनमोकीर का कोई वास्ता या सरोकार नहीं है वो न रहेगा इस वास्ते हम अपने खुशी से एकरारनामा लिख दिया कि वक्त पर काम आवें। तारीख 11 जनवरी 1969 कातिब अबूल खैर पढ़ कर सुना दिया। सही नेजाम अहमद।

इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.01.1969 को जो निबंधित एकरारनामा हुआ था वह नेजाम अहमद एवं मो0 कासिम के बीच हुआ था यह एकरारनामा मो0 खलील एवं मो0 कासिम के बीच नहीं हुआ था। जैसे कि निम्न न्यायालय के आदेश में उल्लेख

है जो गलत प्रतीत होता है।

3. अंचल अधिकारी, लोहरदगा के दा0खा0 अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी, लोहरदगा के दाखिल–खारिज वाद सं0 703/03–04 में दाखिल–खारिज की सारी प्रक्रिया एवं जाँच को पूरा करते हुए दखल–कब्जा के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता पंजी II रैयत के पोषपुत्र हैं तथा आम ईश्तेहार तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।

4. मौजा कुटमू थाना नं0 141 खाता नं0 170 रकबा 0.35 डि0 भूमि की बिक्री पट्टा में विक्रेता का नाम मो0 खलील पिता स्व0 मो0 कासिम दर्ज है।

5. वर्तमान विपक्षी के कथन को मानते हुए निम्न न्यायालय के आदेश में दिनांक 11.01.1969 के रजिस्ट्री दस्तावेज को मो0 खलील एवं मो0 कासिम के बीच एकरारनामा मानते हुए मो0 खलील को जायदाद से बेदखल किया जाना गलत प्रतीत होता है। मो0 खलील मौजा कुटमू थाना नं0 141 खाता नं0 170 प्लॉट नं0 1226 रकबा 0.35 डि0 भूमि के हकदार होकर क्रेतागण को प्रश्नगत भूमि की बिक्री किये हैं, जिस पर क्रेतागण दखलकार हुए एवं अंचल अधिकारी से म्यूटेशन कराकर सरकार को माल अदा कर रहे हैं।

आदेशः–

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.2007 को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता के द्वारा दायर म्यूटेशन रिभिजन आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

23/5/2021

उपायुक्त,
लोहरदगा।

23/5/2021

उपायुक्त,
लोहरदगा।

Digitally signed by DILIP KUMAR TOPPO
Date: 2021.10.23 13:58:04 +05:30
Location: 10.93.49.17